समाहरणालय, अरवल

ई-मेल-dm-arwal.bih@nic.in वेबसाइट-arwal.bih.nic.in दूरभाष-फैक्स-06337-228988

(जिला भू-अर्जन शाखा)

आदेश

वरीय परियोजना अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, गया के पत्रांक 1643, दिनांक 10.12.2016 द्वारा नाबार्ड ऋण सम्पोषित योजना अंतर्गत अरवल जिला के शेरपुर–कुर्मी विगहा पथ में कुर्मी विगहा गॉव के पास कुसुमुरा पईन (मौजा माली, थाना नं0–195) पर उच्च स्तरीय आर0सी0सी0 पुल के पहूँच पथ निर्माण कार्य में शामिल भूमि का अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ। अधिग्रहण की जानेवाली भूमि स्थल का एस0आई0ए0 दल द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। भू–अधिग्रहण से प्रभावित भू–स्वामियों की सहमति भू–अर्जन नीति 2014 के अध्याय–4 के नियम–18 के तहत प्राप्त किया जाना है। प्रभावित भू–स्वामियों से सहमति प्राप्त करने ग्राम पंचायत के परामर्श से ग्राम सभा आयोजित कराने हेतु निम्नवत् पदाधिकारियों का एक दल गठित किया जाता है :–

क्र0	पदाधिकारी का नाम	पदनाम	मोबाईल नम्बर
1		वरीय परियोजना अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, लिमिटेड, कार्य प्रमण्डल, गया द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी	9431820181
2	श्री राजेश कुमार	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुर्था–सह–प्रभारी अंचल अधिकारी, सोनभद्र वंशी सूर्यपुर	9431818084
3	श्री शिवनन्दन सिंह	**कानूनगो,** जिला भू–अर्जन कार्यालय, अरवल।	9430894723

भू–अधिग्रहण से प्रभावित क्षेत्र का स्थल जॉच के बाद एस0आई0ए0 दल द्वारा भू–अधिग्रहण में शामिल भूमि के वर्तमान दखलकार की समर्पित सूची अनुसार विवरण इस प्रकार है :–

क्र0	मौजा/ थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा (डी0 में)	वर्तमान दखलकार
1	माली–195	678	4375	0.20	राधामोहन सिंह, पिता रतन सिंह
2		685	4376	0.05	चिन्ता देवी, पति स्व0 बिन्देश्वर बिन्द
3		551	4377	0.04	गैर मजरूआ आम
4		523	4378	0.10	राम प्यारी देवी, पति स्व0 सुदामा सिंह रामजी सिंह, पिता रामेश्वर सिंह श्याम कुवंर देवी पति–स्वरूप सिंह सुभाष सिंह पिता श्यामदास सिंह
5		550	4379	0.03	गैर मजरूआ मालिक
6		504	4380	0.05	सुरेन्द्र कुमार, योगेन्द्र कुमार, महेन्द्र कुमार पिता स्व0 मेघनाथ सिंह, कमलेश बिन्द पिता–संजीवन बिन्द
7		550	4396	0.03	गैर मजरूआ मालिक
8		525	4397	0.11	जितेन्द्र कुमार सिंह, पिता रामगोविन्द सिंह रामछपित सिंह पिता स्व0 देवशरण सिंह
9		538	4399	0.10	श्याम बिहारी सिंह, पिता–हृदय लाल सिंह
10		546	4400	0.03	सहोदर महतो (अं0अ0 सोनभद्र वंशी सूर्यपुर के प्रतिवेदनानुसार श्री चन्द्रदीप साव
11		551	4329	0.06	गैर मजरूआ आम
			कुल–	**0.80**	

आओ बहना, भैया आओ नशा मुक्त , बिहार बनाओ

F\Bhuarjan\2018\Order\Order no.-9.docx

भू–स्वामियों से सहमति प्राप्त करने के पूर्व भू–अर्जन से प्रभावित क्षेत्र में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुर्था –सह– प्रभारी अंचल अधिकारी, सोनभद्र वंशी सूर्यपुर के द्वारा ग्राम पंचायत के मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, पंच, जिला परिषद सदस्य के माध्यम से विस्तृत प्रचार–प्रसार कराया जायेगा। तदुपरान्त प्रभावित क्षेत्र के भू–स्वामी से सहमति प्रपत्र–V भाग–क में अधिग्रहण भूमि के सभी सूचनाओं से अवगत कराते हुए सहमति प्राप्त किया जायेगा। भू–स्वामी का किसी तरह का शिकायत हो तो उसे स्थल पर ही निराकरण करने का हर संभव प्रयास की जाय।

साथ ही नई भू–अर्जन नीति 2014 के अध्याय–4 के नियम–20 के तहत ग्राम सभा की सहमति प्रपत्र–V के भाग–ख में प्राप्त किया जाना है। भू–अर्जन से प्रभावित क्षेत्र में ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि से परामर्श लेकर गठित दल द्वारा प्रभावित क्षेत्र में ग्राम सभा आयोजित कराया जायेगा। गठित दल का दायित्व है कि सर्व प्रथम ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों से परामर्श प्राप्त करने के बाद चयनित ग्राम सभा के सदस्य के उद्घोषणा से उपस्थित ग्रामीणों को अवगत कराया जायेगा और अधिग्रहण में शामिल भूमि से सभी को विशेष जानकारी दी जायेगी। ***ग्राम सभा आयोजित कराने के पूर्व गठित दल द्वारा तिथि, समय एवं स्थान अधिसूचित की जायेगी।***

प्रभावित क्षेत्र के भू–स्वामियों से सहमति प्राप्त करने हेतु गठित दल को निदेशित किया जाता है कि सहमति प्रपत्र–V के भाग–क में भू–स्वामियों से सहमति प्राप्त कर सहमति प्रपत्र पर अपना संयुक्त हस्ताक्षर बनाकर समहति प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा संकल्प प्रपत्र V के भाग–ख पर ग्राम सभा के चयनित सदस्यों एवं उपस्थित ग्रामीणों का हस्ताक्षर एवं अंगूठे का निशान लेकर अपना संयुक्त हस्ताक्षर के साथ प्रतिवेदन जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, अरवल को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। ***साथ ही जिला के वेबसाईट, जिला एवं अनुमंडल कार्यालय के सूचना पट्‌ट तथा अंचल कार्यालय सोनभद्र वंशी सूर्यपुर के सूचना पट्‌ट पर उक्त आदेश प्रकाशित किया जाय।***

समुचित सरकार
–सह–
समाहर्त्ता, अरवल।

ज्ञापांक– 95 ***/भू0अ0, अरवल, दिनांक–*** 25/07/2018

प्रतिलिपिः– उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अपर समाहर्त्ता, अरवल को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिलिः– अनुमंडल पदाधिकारी, अरवल को सूचनार्थ एवं अतिरिक्त प्रति कार्यालय के सूचना पट्‌ट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अपर जिला भू–अर्जन पदाधिकारी–सह–भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– वरीय परियोजना अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, कार्य प्रमण्डल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी (NIC), अरवल को सूचनार्थ एवं अरवल जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– श्री राजेश कुमार, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुर्था –सह– प्रभारी अंचल अधिकारी, सोनभ वंशी सूर्यपुर को सूचनार्थ एवं अतिरिक्त प्रति कार्यालय के सूचना पट्‌ट पर प्रकाशन के साथ अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– श्री शिवनन्दन सिंह, कानूनगों, जिला भू–अर्जन कार्यालय, अरवल को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

समुचित सरकार
–सह–
समाहर्त्ता, अरवल।